

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय (जुलाई-अगस्त सत्र, 2025)

(दिनांक 28 जुलाई, 2025 से 08 अगस्त, 2025 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिये विभागों के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तरों के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला चक्रानुक्रम विवरण

विभाग का नाम	प्रभारी मंत्री	उत्तर के लिये निश्चित सदन की बैठक दिनांक	प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)

वर्ग-1

पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री		
श्रम	श्रम मंत्री		
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	किसान कल्याण मंत्री		
खेल एवं युवा कल्याण	खेल एवं युवा कल्याण मंत्री		
सहकारिता	सहकारिता मंत्री	28.07.2025	17.07.2025
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री	04.08.2025	24.07.2025
आयुष	आयुष मंत्री		
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल तकनीकी शिक्षा)	तकनीकी शिक्षा मंत्री		
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)	राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं रोजगार		

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग-2			
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री		
गृह	—"—		
जेल	—"—		
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	—"—		
जनसम्पर्क	—"—		
नर्मदा घाटी विकास	—"—		
विमानन	—"—		
खनिज साधन	—"—	29.07.2025	18.07.2025
लोक सेवा प्रबंधन	—"—	05.08.2025	25.07.2025
प्रवासी भारतीय विधि एवं विधायी कार्य	—"—		
आनंद	—"—		
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	—"—		
वित्त	उप मुख्यमंत्री, वित्त		
वाणिज्यिक कर	उप मुख्यमंत्री, वाणिज्यिक कर		
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	उप मुख्यमंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी		
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री		
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री		
कुटीर एवं ग्रामोद्योग	राज्य मंत्री, कुटीर एवं ग्रामोद्योग		
वर्ग-3			
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा		
राजस्व	राजस्व मंत्री		
जल संसाधन	जल संसाधन मंत्री		
परिवहन	परिवहन मंत्री	30.07.2025	21.07.2025
स्कूल शिक्षा	स्कूल शिक्षा मंत्री	06.08.2025	28.07.2025
संस्कृति	राज्य मंत्री, संस्कृति		
पर्यटन	राज्य मंत्री, पर्यटन		
धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास और धर्मस्व		
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास	राज्य मंत्री, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास		

(1)	(2)	(3)	(4)
वर्ग-4			
नगरीय विकास एवं आवास	नगरीय विकास एवं आवास मंत्री		
संसदीय कार्य	संसदीय कार्य मंत्री		
लोक निर्माण	लोक निर्माण मंत्री		
ऊर्जा	ऊर्जा मंत्री	31.07.2025	22.07.2025
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री	07.08.2025	29.07.2025
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण		
विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण	राज्य मंत्री, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण		
पशुपालन एवं डेयरी	राज्य मंत्री, पशुपालन एवं डेयरी		
वर्ग-5			
जनजातीय कार्य	जनजातीय कार्य मंत्री		
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन	लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन मंत्री		
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री		
वन	वन मंत्री		
पर्यावरण	पर्यावरण मंत्री	01.08.2025	23.07.2025
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री	08.08.2025	30.07.2025
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री		
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री		
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री		
अनुसूचित जाति कल्याण	अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री		

नोट :-

1. विवरण के स्तम्भ (3) एवं (4) में उल्लिखित दिनांक स्तम्भ (1) में दिये गये विभागों के सम्पूर्ण वर्ग को लागू होगी।
2. प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त प्रारूप में ही भेजे। साथ ही विभागों से अपेक्षा है कि प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर विभागों के प्रभारी माननीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् ही विधान सभा सचिवालय में ऑनलाईन प्रेषित किये जायें।
3. प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने का अंतिम दिनांक स्तम्भ (4) में दर्शाया गया है, नियत दिनांक तक उत्तर अनिवार्यतः भेजे जायें।
4. निर्धारित दिनांक तक जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे प्रश्नों को **मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 18 (5) के प्रावधान अंतर्गत "मंत्री महोदय की ओर से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है"** टीप अंकित कर प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित करा दिया जायेगा।
5. **प्रश्नों के उत्तर ऑनलाईन ही प्राप्त किये जायेंगे** तथा यदि **संलग्न परिशिष्ट** की अधिकतम पृष्ठ संख्या तीन (03) है, तो उसकी भी ऑनलाईन **स्वच्छ / पठनीय प्रति** ही प्रेषित की जाये, किन्तु यदि परिशिष्ट की पृष्ठ संख्या **तीन (03) पृष्ठ से अधिक** हो तो उसकी पांच प्रतियां सक्षम अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर उत्तर में **पुस्तकालय परिशिष्ट** उल्लेख कर उत्तर प्रेषण के दिनांक को ही अनिवार्य रूप से विधान सभा सचिवालय में **ऑफलाईन (हार्ड कापी)** भेजी जायें। **नियत तिथि तक विधान सभा सचिवालय में पुस्तकालय परिशिष्ट प्राप्त न होने की स्थिति में विभागीय उत्तर को ऑनलाईन रिजेक्ट किया जा सकेगा।**
6. किसी प्रश्न के संबंध में **स्पष्टीकरण / संशोधन / अग्रग्राह्यता / पुनर्विचार** अथवा अन्य विभागों को **हस्तांतरण** अपरिहार्य हो तो ऐसे अनुरोध प्रश्न प्रामि के तीन (03) दिन के अन्दर भेजे जाने चाहिए, उत्तर भेजने की अंतिम तिथि में ऐसे अनुरोध विचारयोग्य नहीं होंगे।

पृष्ठा-1 अ 12003/2025

भोपाल, दिनांक 25.06.2025

प्रतिलिपि :-

- (1) माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
- (2) समस्त मंत्री, राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
- (3) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
- (4) मध्यप्रदेश शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.